प्रकरण संख्या 45/19 2019/00194 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

अशोक कुमार मीना पुत्र किरोडी लाल मीना जाति मीना आयु 27 साल निवासी शेखपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.)

— अपीलाण्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली

— रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली निर्णय दिनांक 20.05.2019 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम अशोक कुमार उ.म.दु. ग्राम पंचायत कांचरौदा मु.नं. 213/2019

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा माह नवंबर–दिसंबर 2018 में स्टॉक में 246.83 क्विं. गेंहूं का स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना, निलंबन के बावजूद स्टॉक की अवशेष रसद सामग्री अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं करना आदि की रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा दिनांक 01.01.2019 को पेश किये जाने एवं अपीलार्थी राशन डीलर को बार–बार नोटिस देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी करौली ने अपने आदेश दिनांक 20.05.2019 द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 20.05.2019 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले मन्सूख है। जो निर्णय अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने दिनांक 20.05.2019 को दिया है उसमें प्रवर्तन निरीक्षक सुनीता मीना द्वारा दिनांक 01.01.2019 को रिपोर्ट पेश की है जिसमें उचित मूल्य की दुकान कांचरौदा तहसील सपोटरा में मुझ अपीलाण्ट द्वारा नवम्बर व दिसम्बर 2018 में स्टॉक में गेंहू 246.83 क्वि. स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद उपभोक्ताओं को गेंहू का वितरण नही करना व उपभोक्ताओ को परेशानी में डालना बताया है जबकि अपीलाण्ट को गेंहू का वितरण करने का कोई आदेश नहीं मिला था तथा अपीलाण्ट उस समय बीमार रहा। इस कारण गेंहू का वितरण नहीं कर पाया और स्टॉक में बदस्तूर यह गेंहू जमा रखा था। किसी प्रकार की कोई अनियमितता अपीलाण्ट ने नही बरती तथा जो दिनांक 20.05.2019 को रिपोर्ट पेश करना बताया है, उसमें 96.83 गेंहू क्विटल गेंहू एवं केरोसीन 315.3 लीटर शेष रहना बताया है, वह बिल्कुल गलत है। अपीलाण्ट ने जिला रसद अधिकारी के आदेशानुसार जो केरोसीन स्टॉक हुआ था वह वितरण कर दिया गया था तथा गेंहू कम मात्रा होने, उपभोक्ता राशन अधिक होने के कारण व जिला रसद अधिकारी करौली के गेंहूं वितरण आदेश संबंधी नहीं मिलने के कारण वितरण नहीं किया गया और गेंहू स्टॉक में जमा है (रखा हुआ है)। इस प्रकार अपीलाण्ट ने कोई भी गेंहू का दुरूपयोग नहीं किया है। श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा स्टॉक में जो गेंहू 246.83 क्विंटल

जिला कलक्टर
करौली

96.83 क्विंटल में से ग्राम पंचायत भरतून के डीलर धानसिंह मीना को 246.83 किलो गेंहू दे दिये गये बाकी का बचा हुआ गेंहू मेरे स्टॉक में रखा हुआ है जिसको किसी भी दीगर डीलर को देने के आदेश नहीं फरमाये गये। इस कारण वह स्टॉक में जमा है। अपीलाण्ट ने राज. खाद्य एवम अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र शर्तो संख्या 2 व 18 का कोई उल्लंघन नहीं किया है ना ही आदेश के खण्ड 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का कोई उल्लंघन नहीं किया है अदालत मातहत ने अपीलाण्ट की अमानत राशि 1000 रूपया जब्त कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने निर्णय राजनैतिक द्वेषता व दबाव में आकर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने राशन सामग्री वितरण में कोई अनियमिततायें नहीं बरती गयी है। ना ही कोई वितरण की शर्तो का उल्लंघन किया है। लाइसेंस को निलंबित करने का कोई विशेष कारण नहीं है। निर्णय की जानकारी दिनांक 25.06.2019 को अपीलाण्ट अशोक कुमार मीना को हुई अपीलाण्ट ने नकल की दर0 01.07.2019 को पेश की नकल मिलने पर तथा अपने कानूनी सलाहकारो से सलाह लेकर ये अपील पेश की जा रही है जो अंदर मियाद है काबिल समायत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी राशन डीलर को बार–बार दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाकर पाबंद करने के बावजूद अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा माह नवंबर 18 व दिसंबर 18 में गेंहूं का 0(शून्य) वितरण किया गया है जबकि अपीलार्थी राशन डीलर के पास 246.83 क्विं. गेंहूं स्टॉक में जमा था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर अवशेष सामग्री अटॅच डीलर को सुपुर्द करने हेतु आदेशित किया गया एवं सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी डीलर द्वारा दिनांक 10.01.2019 वक्त जांच तक दिनांक 01.01.2019 से 10.01.2019 तक के स्टॉक में शेष 246.83 क्विं. गेंहूं में से 150 क्विं. गेंहूं, दिनांक 01.09.2016 से 10.01.2019 तक के स्टॉक में शेष 8.17 क्विं. चीनी में से 0(शून्य) क्विं. चीनी एवं दिनांक 01.06.2017 से 10.01.2019 तक के स्टॉक में शेष 450.3 लीटर केरोसीन में से 135 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया तथा 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को अपीलार्थी डीलर को आदिनांक तक सुपुर्द नहीं किया है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार नोटिस जारी किये गये लेकिन अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर के स्टॉक में 246.83 क्विं. गेंहूं शेष होने पर भी अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा बार–बार वितरण हेतु पाबंद किये जाने के बावजूद माह नवंबर–दिसंबर 2018 में वितरण नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में बीमार होना बताया गया है लेकिन बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज ना तो जिला रसद कार्यालय करौली में पेश किये हैं ना ही इस न्यायालय में पेश किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक में शेष 246.83 क्विं. गेंहूं में से 150 क्विं. गेंहूं, दिनांक 01.09.2016 से 10.01.2019 तक के स्टॉक में शेष 8.17 क्विं. चीनी में से 0(शून्य) क्विं. चीनी एवं दिनांक 01.06.2017 से 10.01.2019 तक के स्टॉक में शेष 450.3 लीटर केरोसीन में से 135 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया तथा 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को अपीलार्थी डीलर को आदिनांक तक सुपुर्द नहीं किया गया है

जिला कलक्टर
करौली

और ना ही सुपुर्दगी की रसीद इस न्यायालय में पेश की है जिससे 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन का अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। यदि 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन अपीलार्थी राशन डीलर के पास स्टॉक में होती तो वह उक्त राशन सामग्री को अटैच डीलर को संभलवा चुका होता। यहां अपील में उक्त राशन सामग्री का स्टॉक में मौजूद होना बताना, इस न्यायालय को गुमराह करने एवं येन–केन–प्रकारेण राशन प्राधिकार पत्र को बहाल करवाने की अपीलार्थी की बदयान्ति को दर्शाता है। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा सुनवाई हेतु बार–बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद अपीलार्थी का उपस्थित नहीं होना, उसकी 96.83 क्विं. गेंहूं, 8.17 क्विं. चीनी एवं 315.3 लीटर केरोसीन के दुरुपयोग किये जाने की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है जो गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः हम प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली